रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22072026-274665
CG-MH-E-22072026-274665

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3795] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2026/आषाढ 29, 1948
No. 3795] NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2026/ASHADHA 29, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 13 जुलाई, 2026

का.आ. 3963(अ).—जबकि रेल मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा (भारत के राजपत्र में प्रकाशित, अधिसूचना संख्या, **(i) जी.एस.आर.520** (ई) दिनांक 25-07-2025 और **(ii) जी.एस.आर.441** (ई) दिनांक 02-06-2026 के तहत) असाधारण पी II धारा 3 उपधारा (II) (यहां के बाद में उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) रेलवे अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 20 ए की उपधारा (I) के तहत (यहां के बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) केंद्र सरकार ने विशेष रेलवे परियोजना, सामाखियाली गांधीधाम चौगुना परियोजना (53.00 किमी) जिला कच्छ अर्थात् गुजरात राज्य में जिला को भूमि अधिग्रहण परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

और, जबकि उक्त अधिसूचना का सार दैनिक समाचार पत्रों – (i) "कच्छ उदय" (गुजराती), "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया" (अंग्रेज़ी) और "यंग लीडर" (हिंदी) में 05 अगस्त, 2025 को तथा (ii) दैनिक समाचार पत्रों - "दिव्य भास्कर" (गुजराती), "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया" (अंग्रेज़ी) और "मेट्रो हेराल्ड" (हिंदी) में 11 जून, 2026 को प्रकाशित किया गया था, और जबकि, आपत्तियां प्राप्त हो गई हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दी गई हैं;

और, जबकि. उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (एक) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उप-धारा (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार अब यह घोषणा करती है कि अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहण की जाएगी;

और आगे, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार अब यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी बंधनों से मुक्त पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार में होगी। अनुसूची

अनुसूची

कच्छ जिले में सामाखियाली गांधीधाम चौगुना परियोजना (53.00 किमी) प्रदान करने के लिए जोड़ना को भूमि अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

जिले का नामः कच्छ

क्रम. संख्या.	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	भूमि का प्रकार	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूमि मालिक / इच्छित व्यक्ति का नाम
1	भचाऊ	चिराई नानी	139	श्री ठाकर मंदिर खेती	1600	श्री ठाकर मंदिर
2	भचाऊ	चिराई नानी	141/1	खेती	1799	भारत भार बकुत्तरा
3	भचाऊ	चिराई नानी	141/2	खेती	1827	संभू सामंत
4	भचाऊ	चिराई नानी	161	खेती	1394	संभू सामंत जखा बकुत्रा
5	भचाऊ	चिराई नानी	162 (162/p1 और 162/p2)	खेती	753	रमेश बाबूभाई खटारिया
6	भचाऊ	चिराई नानी	163	खेती	522	कुम्भा कषा राजा
7	भचाऊ	चिराई नानी	164 (164/p1 और 164/p2)	खेती	118	बाबू अर्जन जटिया
8	भचाऊ	चिराई नानी	227	श्री सरकार	1000	श्री सरकार
9	भचाऊ	चिराई नानी	228/1	खेती	689	मेमा भचू चावड़ा
10	भचाऊ	चिराई नानी	228/2	खेती	362	गोविंद सामंत चावड़ा
11	भचाऊ	चिराई नानी	230/1 (230/p1 और 230/p2)	खेती	2156	चंदन बिजल जरू
12	भचाऊ	चिराई नानी	231/1	खेती	518	गागु काना बकुतरा
13	भचाऊ	चिराई नानी	231/2	खेती	430	रामजी सामंत मेमा बकुत्रा

14	भचाऊ	चिराई नानी	232	खेती	2785	बाबूभाई सामंत जखा बकुत्रा
15	भचाऊ	चिराई नानी	234 (234/p1)	खेती	168	संभु सामंत कासा
16	भचाऊ	चिराई नानी	235 (235/p1 और 235/p2)	खेती	710	गोविंद काना चावड़ा
17	भचाऊ	चिराई नानी	236/1	खेती	395	काना हमीर बकुत्रा
18	भचाऊ	चिराई नानी	236/2	गैर खेती	397	दाऊ घनश्याम काना
19	भचाऊ	चिराई नानी	236/3	खेती	173	समत् सवा बालसरा
20	भचाऊ	चिराई नानी	T S No 478Paki	श्री सरकार	2907	श्री सरकार
				कुल:	**20703**	

[फा. सं. ई-658630-02]

एस. आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक–II

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai**,** the 13th July, 2026

S.O. 3963(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, **(i)G.S.R. 520 (E),** dated the 25th July, 2025, and **(ii), G.S.R. 441 (E)**, dated 02nd June 2026 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the Purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely Samakhiyali Gandhidham Quadrupling Project (53.00 KM) in District Kutch in the State of Gujarat.

And, whereas, the substance of the said notification published was in the following daily newspapers (i) "Kutch Uday" (Gujarati), "The Times of India" (English), & "Yung Leader " (Hindi) dated 05th August, 2025 and (ii) the "Divya Bhaskar" (Gujarati), "The Times of India" (English), & "Metro Hereld " (Hindi) dated 11th June, 2026 under sub-section (4) of section 20A of the said Act, And whereas, the objections have been received and rejected by the competent authority and accordingly orders have been passed,

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, namely Samakhiyali Gandhidham Quadrupling Project (53.00 KM) in District Kutch in the state of Gujarat.

Name of District: Kutch

Sr. No.	Name of Taluka	Village Name	Survey No.	Land Type	Area of Land to be acquired (In Sqmts.)	Name of the land owner /interested persons
1	Bhachau	Chirai Nani	139	Shri Thakar Mandir, Agriculture	1600	Shree Thakar Mandir,
2	Bhachau	Chirai Nani	141/1	Agriculture	1799	Bharat Bhara Bakuttra
3	Bhachau	Chirai Nani	141/2	Agriculture	1827	Sambhu Samant
4	Bhachau	Chirai Nani	161	Agriculture	1394	Babubhai Samat Jakha Bakutra
5	Bhachau	Chirai Nani	162 (162/p1 and 162/p2)	Agriculture	753	Ramesh Babubhai Khataria
6	Bhachau	Chirai Nani	163	Agriculture	522	Kumbha Kasha Raja
7	Bhachau	Chirai Nani	164 (164/p1 and 164/p2)	Agriculture	118	Babu Arjan Jatia
8	Bhachau	Chirai Nani	227	Government	1000	Goverment
9	Bhachau	Chirai Nani	228/1	Agriculture	689	Mema Bhachu Chavda
10	Bhachau	Chirai Nani	228/2	Agriculture	362	Govind Samant Chavda
11	Bhachau	Chirai Nani	230/1 (230/p1 and 230/p2)	Agriculture	2156	Chandan Bijal Zaru
12	Bhachau	Chirai Nani	231/1	Agriculture	518	Gagu Kana Bakutra
13	Bhachau	Chirai Nani	231/2	Agriculture	430	Ramji Samat Mema Bakutra
14	Bhachau	Chirai Nani	232	Agriculture	2785	Babubhai Samant Jakha Bakutra
15	Bhachau	Chirai Nani	234 (234/p1)	Agriculture	168	Sambhu Samant Kasa
16	Bhachau	Chirai Nani	235 (235/p1 and 235/p2)	Agriculture	710	Govind Kana Chavda
17	Bhachau	Chirai Nani	236/1	Agriculture	395	Kana Hamir Bakutra
18	Bhachau	Chirai Nani	236/2	Non-Agriculture	397	Dau Ghanshyam Kana
19	Bhachau	Chirai Nani	236/3	Agriculture	173	Samat Savaa Baalasara
20	Bhachau	Chirai Nani	TS No 478Paki	Government	2907	Government
				Total Land	20703	

[F. No. E-658630-02]

S R PRASAD, Chief Project Manager-II

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA Digitally signed by BHABAJIT DEKA Date: 2024.07.22 19:18:39 +05'30'